न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 70/2015 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री वरदा पिता स्व. केसुजी मेघवाल निवासी नई बस्ती तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री खेमा उर्फ खेमराज पिता स्व. गोकल जी मेघवाल निवासी नई बस्ती तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री किशना पिता स्व. केसुजी मेघवाल निवासी नई बस्ती तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
4. श्रीमती गंगाबाई पुत्री गोकलजी मेघवाल पत्नी भगवानलाल जी मेघवाल निवासी पुरियाखेड़ी तहसील वल्लभनगर हाल निवासी चिपीखेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती भंवरी पुत्री स्व. गोकल जी मेघवाल पत्नी भगवानलाल जी मेघवाल निवासी पुरियाखेड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी वल्लभनगर दिनांक 21–05–2015
प्रकरण सं0 102/2014 वाद

———

उपस्थित :–1–श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट्स
2–श्री काशीराम मेघवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———/———

निर्णय दिनांक 30–10–2017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट वादिया द्वारा प्रतिवादी अपीलान्ट के विरूद्ध धारा–88 व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सजरा वादपत्र की कलम संख्या–1 अनुसार ही मूल पुरूष भग्गा के 4 पुत्र पेमा, लच्छा, गोकल व गमेरा हुए। गमेरा लाओलाद फोत हो गया। पेमा के पुत्र केसु के वारिसार प्रतिवादी संख्या–2 से 4 है। लच्छा फोत हो गया है, गोकल भी फोत हो गया है। जिसके वारिसान में गंगा प्रतिवादी नंबर–1 व भंवरी वादिया है। राजस्व ग्राम वल्लभनगर में वादपत्र की कलम 2 (अ) अनुसार कृषि भूमियां आराजी नंबर 19, 20 कूल किता–2 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि तथा आराजी नंबर 16 भी है। उक्त भूमियां गोकल जी के एक मात्र स्वामित्व की भूमियां थी। राजस्व ग्राम पुरियाखेड़ी में वादपत्र की कलम संख्या **''ब''** अनुसार कुल किता–3 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि में गोकल जी का 1/3 हिस्सा था। राजस्व ग्राम पुरियाखेड़ी में वाद पत्र की कलम संख्या **''स''** अनुसार आराजी नंबर 267 रकबा 5 बिस्वा में अन्य खातेदारों के साथ गोकल जी का 1/2 हिस्सा था। वादपत्र की कलम संख्या **''द''** की कूल आराजीयात किता–4 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा में भी गोकल जी का 1/2 हिस्सा था। गोकल जी का देहान्त होने के बाद भूमियां उसके पुत्र परथा जी के नाम दर्ज हुई तथा त्रुटिपूर्वक वादिया व उसकी मॉ हगामी तथा उसकी बहन प्रतिवादी नंबर–1 गंगा का नाम दर्ज नहीं हुआ। हमारे पिता जी के देहान्त बाद परथा का भी निधन होने से भूमियां हमारी माता हगामी के नाम दर्ज हुई तथा वादिया व प्रतिवादी नंबर–1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। वादिया की माता का देहान्त दिनांक 24–11–2005 को हो गया तथा उसके देहान्त के बाद प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 ने भूमियां हगामीबाई के नाम दर्ज होने से उसका फायदा उठाकर नुमाईशी विक्रय पत्र से भूमियां अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि वादिया की माता ने कोई बिकाव नहीं किया तथा ऐसा विक्रय पत्र प्रारम्भतः अवैध, शून्य है। वादिया ने विवादित आराजीयात में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या–1 को खातेदार काश्तकार घोषित करने की मांग की तथा स्थाई निषेघाज्ञा भी चाही। प्रतिवादी की और से खण्डन का जवाबदावा पेश हुआ।

प्रकरण में दिनांक 21–5–2015 को पत्रावली कायमी तनकीयात के लिए नियत थी। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत

में रखकर वादिया को 1/3 हिस्से का खातेदार घोाषित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21–5–2015 से रूष्ट होकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 4 द्वारा वादिया रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध यह अपील दिनांक 21–9–2015 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगणों की अनुपस्थिति में लोक अदालत में प्रकरण रखकर उन्हें बिना सूचना दिये व बिना विधि प्रक्रिया अपनाये वाद डिक्री कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय उनकी बिना जानकारी के हुआ है। अतः मयाद कण्डोन की जाय। अखण्डित शपथ पत्र, न्यायहित व पत्रावली के रेकार्ड को देखते हुए, अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की सूचना होने का कोई आधार उपलब्ध नहीं होने से मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की और से अधिवक्ता श्री काशीराम मेघवाल ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होना बताकर अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 13–5–2015 को 29–8–2015 की पेशी दी गई, परन्तु उससे पूर्व ही अपीलान्ट को सूचना दिये बिना प्रकरण को लोक अदालत में दिनांक 21–5–2015 को वादिया की उपस्थिति में वाद को डिक्री किया है, जो प्राकृतिक नयाय व विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा वर्णित तथ्यों का रेकार्ड से सत्यापन होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक प्रक्रिया एव ंप्राकृति न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–5–2015 खारिज की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट प्रतिवादी को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में तनकीयात कायम कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए साक्ष्य लेकर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–12–2017 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30–10–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

1–श्री पुखराज पिता गुलाब चंद जी जैन
निवासी नान्देश्मा तहसील गोगुन्दा
जिला थाणे (महाराष्ट्र) अन्य–2

बनाम 1–**श्री देवीसिंह पिता श्री किशनसिंह जी दादा धन्ना जी राजपूत नि0 पटेलो की भागल नान्देश्मा तह0 गोगुन्दा जिला उदयपुर अन्य–37**

अपील नं0 **29/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .. ..**गोगुन्दा** .....मुकाम मुक्र्खे.....**18**.....माह.....**07**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**02**..... माह .....**08**..... सन् .....**2017** .....रूबरू .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री कुन्दनसिंह सोनी** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री संजय बोहरा** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–7–2013 खारिज की जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**02**..... माह .....**08**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।